



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGCO24928

संख्या : 942-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/17-108-पी/1990,(टी०सी०)

दिनांक 22 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषय- उ०प्र० पावर कारपोरेशन के अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनांक 01.07.2016 से 256% एवं दिनांक 01.01.2017 से 264% की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 877-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/16-108-पी/1990, दिनांक 12.09.2016 के अनुक्रम तथा राज्य शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या : 17/2017/सा-3-जी०आई०-11/दस-2017-301/2000,टी०सी०, लखनऊ, दिनांक 10.07.2017 के अनुसारिता में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद/उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के ऐसे पेन्शनर्स/पारिवारिक पेन्शनर्स जिनकी पेन्शन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या सम्बन्धित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तदनुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेन्शन/अनन्तिम पेन्शन स्वीकृत हुई है को पेन्शन पर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 256% एवं दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 264% की दर से महंगाई राहत के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा।
3. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1054-डब्लू०सी/राविप-औसं-19-14-(23) एफ-85, दिनांक 16.06.88 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त प्रस्तर-1 एवं 2 के अनुसार किया जायेगा।
4. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

अध्यक्ष,

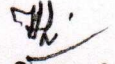
संख्या : 942 -पै०एण्डआर०-28/पाकालि/17/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, कक्ष संख्या-148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केरको-कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
8. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
11. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
13. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाल बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड़, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड़, झांसी/पी०एन०बी० हाउस, बिरहाना रोड़, कानपुर/गुरुद्वारा रोड़, इलाही काम्पलेक्स, निकट वेव सिनेमा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी०एन०बी० हाउस, राम गंगा बिहार फेस-11, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड़, वाराणसी।
15. प्रबन्धक (सी०पी०पी०सी०), सेन्ट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. कट फाईल।

आज्ञा से,



(सै०मो०जाकिर अली काजमी)
संयुक्त सचिव(अरा०)